न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/4 **दायरा दिनांक : 08.03.2022**

उनवान

1– दौलतराम पुत्र श्री रामकिशन, जाति मीणा,
2– मुन्नीबाई बेवा रामकिशन, जाति मीणा,
निवासीगण ग्राम थामली, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
3– गायत्री पुत्र रामकिशन, जाति मीना, निवासी ग्राम बालापुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
4– रविशंकर पुत्र श्री रघुवीर, जाति मीणा,
5– चाहन्या बाई बेवा रघुवीर, जाति मीणा,
6– राजेश बाई पत्नि शिवराज, जाति मीणा,
निवासीगण ग्राम थामली, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
7– उज्जवल पुत्र श्री शिवराज नाबालिग जर्ये वली माता राजेश बाई पत्नि शिवराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम थामली, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– अनार बाई पत्नि नरेश कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम पापडली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 96/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम थमली, तहसील बारां के खाता संख्या नया 155 पुराना 153 के खसरा नं. 121 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नं. 144 रकबा 1.52 हेक्टर, खसरा नं. 167 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नं. 301 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नं. 399 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 403 रकबा 3.57 हेक्टर, खसरा नं. 74 रकबा 0.49 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 7.14 हेक्टर आराजियात एवं खाता संख्या नया 156 पुराना 152 के खसरा नं. 418 रकता 3.39 हेक्टर आराजियात राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादिया कम 01 के नाम संयुक्त खाते दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 18.11.2021 से वादीगण का वाद चलने योग्य एवं मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय वाद संख्या 96/2020 की पत्रावली के तथ्यों एवं मौजूद दस्तावेजातों एवं साक्ष्य के विपरीत, उत्तराधिकार विधि एवं प्रकिया व साक्ष्य

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों एवं प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार रामकिशन के फौती नामान्तरकरण सं. 691 दिनांक 30.06.2020 में दर्ज हुए रेस्पोडेंट कम 1 के नाम को आधार माना है, जो गलत है क्योंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद को एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2021 से निरस्त करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली में प्रस्तुत किये गये अनार बाई की शकूनत के दस्तावेज फोटो प्रति आधारकार्ड, मामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड आदि दस्तावेज में अनार बाई पत्नि नरेश नाम से दर्ज नाम को अनदेखा कर अपीलांटगण का वाद निरस्त करने में विधि की भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 01 को जारी सम्मन की तलबी के आधार पर प्रतिवादिया कम 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की, रेस्पोडेंट कम 02 द्वारा जवाब पेश नहीं किया। वाद में कोई विवाद्यक नहीं होते हुए भी अपीलांट कम 01 की शपथ साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजातों को अनदेखा कर डिक्री दिनांक 18.11.2021 से अपीलांटगण का वाद निरस्त किया है, जो साक्ष्य एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों से असंगत होने से निरस्तनीय है। अपीलांटगण के वाद के तथ्यों, पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक नन्दलाल की विधवा रेस्पोडेंट कम 01 का पुर्नविवाह कर दाम्पत्य स्थापित होना सिद्ध होने से अपीलांटगण का वाद विधि प्रावधानों एवं प्रस्तुत न्याय निर्णय अनुसार अपीलांटगण के पक्ष में स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्याय सम्मत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण का वाद निरस्त करने में विधि की भूल की है, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। नामान्तरकरण एक फिजिकल कार्यवाही है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, उक्त विधि प्रावधानों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर पारित की गई, डिक्री व निर्णय बोलता हुआ निर्णय न होने से निरस्तनीय है। अपीलांट कम07 नाबालिग है जो अपनी माता अपीलांट कम 06 की संरक्षकता में रहकर परवरिश पा रहा है। नाबालिग अपीलांट कम 07 के हित अपनी माता अपीलांट कम 06 के हितों के विपरीत नहीं है। अपीलांट कम 07 की ओर से यह अपील जर्ये वली माता अपीलांट कम 06 द्वारा प्रस्तुत है। स्वीकृति बाबत पृथक से धारा 32 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ सलंग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11. 2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1995 पेज 181, राजस्थान आवासन बोर्ड पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, आर. एल. डब्ल्यू. 2007(1) आर.जे. पेज 446, आर.बी.जे (13) 2006 पेज 659 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट कम 1 का अपने पति की मृत्यु पश्चात् नाता विवाह किया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय दिनांक 18.11.2021 में वर्णित किया है कि वादीगण नाते जाने या अनारबाई द्वारा पुर्नविवाह करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। वादीगण अनारबाई का नाते जाने को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः वाद खारिज किया जाता है।

हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण में विधि का सारभूत प्रश्न निहित है कि विधवा के नाते जाने के पश्चात् अपने पूर्व पति की सम्पत्ति में अधिकार निहित रहता है अथवा नहीं । अधीनस्थ न्यायालय को समुचित साक्ष्य लेते हुए विधि के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा